फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

मीरा बनाम चिरंजी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 104/23

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.08.2023	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री शंकरलाल शर्मा द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर् यह पाया कि प्राईमा फैसीया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3568/74 में आगामी पेशी तक विवादित भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएं रखें एवं निर्माण नहीं करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड डाक की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 10.10.2023 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	
10/12	पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 22/12/23 को पेश हो।	
22/12/23	पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 27/3/24 को पेश हो।	
27/3/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनु0। पत्रावली में पैरवी हेतु बार-बार खुले न्यायालय में आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी हाजिर नहीं आया। अतः प्रा0 पत्र आभाव किसी [illegible] अदम पैरवी [illegible] में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	